


(Press-Note)

कार्यालय,
पुलिस महानिदेशक,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002

(निविदा सूचना)

हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय, के ब्लाक "A" स्थित खलिनी व "C" ब्लाक स्थित निगम बिहार, शिमला में कैंटीन (जलपान-गृह) चलाने हेतू इच्छुक व्यक्तियों से मोहरबन्द एवं सीलबन्द लिफाफे (Envelope) में निविदाएं (Quotation) आमन्त्रित है। निविदा प्रपत्र (Quotation form) किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक अधीक्षक, कल्याण एवं पैन्शन शाखा, कमरा न0-206, पुलिस मुख्यालय, शिमला-2 से प्राप्त किये जा सकते है और अन्य विस्तृत सुचनाओं, नियमों व शर्तों के साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस बैबसाईट www.hppolice.com.in से भी डाउनलोड किये जा सकते है।

2. इच्छुक व्यक्ति अपनी-अपनी निविदा, उपरोक्त विधि से सीलबन्द करके कमरा संख्या- 206, पुलिस मुख्यालय में निर्धारित सीलबन्द पेटी में दिनांक 26.10.2021 समय 1 बजे तक भेजना सुनिश्चित करें। सभी प्राप्त एवं वैध निविदाएं इस ही दिन अर्थात् दिनांक 26-10-2021 को अपराहन 3 बजे के उपरांत पुलिस अधीक्षक, कल्याण के कार्यालय में नियमानुसार खोली जाएगी।


पुलिस अधीक्षक,
कल्याण एवं पैन्शन,
पुलिस मुख्यालय, हि0प्र0, शिमला-2

शर्तें एवं नियम :-

1. हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय की दो कैंटीनो ब्लाक “ए” एवं “सी” स्थित निगम विहार के संचालन एक वर्ष की अवधि (15.04.2021 से 14.04.2022) तक के लिए वितरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बाहरी व्यक्तियों को ठेका पर दिया जाना है । “A” ब्लाक (SV&ACB HQ) में लगभग 100 अधिकारी एवं कर्मचारी तथा “C” ब्लाक (Police HQ) निगम बिहार में लगभग 200 अधिकारी एवं कर्मचारी स्थाई रूप से कार्यरत हैं जो आमतौर पर सभी कार्य दिवस पर दोपहर का भोजन एवं जलपान इत्यादि इन कैंटीनों में तत्काल कीमत अदायगी के आधार पर करते हैं
2. विभिन्न खाद्य पदार्थों एवं अन्य सेवाओं, (संलग्न सूचि अनुसार) के लिए जो मुल्य (Quote) किये जायेंगे वह एक साल की अवधि के लिए मान्य रहेंगे तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध के अनुसार सभी शर्तों को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए दोनों पक्षों की आपसी सहमति और मुख्यालय के अनुमोदन के अनुसार बढ़ाया जा सकता है ।
3. कैंटीन संचालक को मु0-5,000/-रु0 की जमानत राशि (Caution Money) बैंक ड्राफ्ट के रूप में देना होगा । अनुबन्ध के अनुसार लगातार सेवाएं न देने तथा किसी की शर्त का उलघन करने पर जमानत राशि जब्त की जा सकती है । लेकिन समझौते के अनुसार कैंटीन का कार्य सन्तोषजनक रूप से पूरा होने पर कुल जमानत राशी का भुगतान 10 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा ।
4. कैंटीन संचालक को किसी अन्य व्यक्ति को कैंटीन संचालन के लिए आगामी ठेका (Subletting) देने की अनुमति न होगी ।

16. यदि सरकारी सामान की टूटफूट होती कैन्टीन संचालक जिम्मेवार होगा ।
17. बिजली के लिए अलग उप-मीटर लगाया गया है जिसके बिल का भुगतान तथा किराये की राशि का भुगतान ठेकेदार को उचित समय पर करना होगा ।
18. कैन्टीन में कार्य करने वाले कर्मचारियों का व्यवहार मृदु भाषी होनी चाहिए ।
19. यदि कैन्टीन संचालक को कैन्टीन संचालन के प्रति कोई भी समस्या हो तो शीघ्र ही पुलिस अधीक्षक, कल्याण एवं पैन्शन शाखा को सूचित करें ।

पुलिस अधीक्षक,
कल्याण एवं पैन्शन,
पुलिस मुख्यालय, हि0प्र0, शिमला-2
— e-mail —

पृ0संख्या कल्याण-1 बैट कैन्टीन 2020-21- 18081-84 दिनांक- 14/10/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु

प्रेषित है :-

- 1 जिलाधीश, कार्यालय, शिमला-171001
- 2 पुलिस अधीक्षक शिमला-171001
- 3 पुलिस उप-अधीक्षक, SCRB शिमला-2
- 4 श्री आशोक कुमार प्रभारी बैट कैन्टीन पुलिस मुख्यालय शिमला-2

पुलिस अधीक्षक,
कल्याण एवं पैन्शन,
पुलिस मुख्यालय, हि0प्र0, शिमला-2

ANNAXURE-"A"

<u>S.No</u>	<u>Particulars of items</u>	<u>Rates for a class quality & quantity</u>
1	Tea per cup (Ordinary)	
2	Tea per cup (Green label)	
3	Coffee per cup	
4	Milk with sugar (250 M.L)	
5	Burfi per kilogram	
6	Gulab Jamun per piece (35 gms)	
7	Pakora per kilogram	
8	Samosa per piece (40gms)	
9	Lunch (with full Plate either vegetable or Dal)	
10	Vegetable per plate (200 gms.)	
11	Dal per plate (250 Gms.)	
12	Cooked rice per plate (300 gms.)	
13	Mutter Paneer per plate (250 gms.)	
14	Besan Burfi per kilogram	
15	Bread Pakora per piece (40 gms.)	
16	Mathi per piece (30 gms)	
17	Butter Slice per piece	
18	Simple Bread slice (2Piece)	

19	Jam slice (2Piece)	
20	Pinni per Piece (30 gms.)	
21	Mutter per kg.	
22	Allu Chana Per Plate (250 gms.)	
23	Allu Tikki per Piece (30 gms.)	
24	Dal Semian per kg.	
25	Prantha	
26.	Chana Bhatura	
26	Cream/Coconut Biscuit as Per printed rate.	
27	Cold Drink Per bottle (250 ml) as Per printed rate.	